18.5.16

प्रकरण की नौर्ट कैम्प बड़महुआ पर पेश। वादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित। प्रतिवादी प्र. 2 3, उपस्थित वादपत्र इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा बताया गया की ग्राम बड़महुआ की आराजी सं० 1000, 1001, 1006, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1015, 2713/1011, 2714/1012.967 किता 12 कुल रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा मुमे श्री मोतीराम पिता खुशाललाल माली के नाम पर है उक्त आराजियात खुश जी के समय की होकर मोरूसी आराजियात है। खुश जी के देहान्त के पश्चात मोतीराम जी के ~~नाम~~ नाम पर दर्ज हुई। मोतीराम जी के देहान्त बाद उनके पुत्र रतनलाल कन्हैयालाल, भूरालाल, उदयलाल व रामसुखी के नाम पर राजस्व अभिलेख मे दर्ज है उक्त आराजियात मुश्तर्की होने से हम वादीगण का हक अधिकार है हक हिस्से अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादी सं० 1 से 4 का शामिल मे ही काबला है और सभी शामिल मे ही काश्त आविकार उपभोग उपभोग करते चले आ रहे है प्रतिवादी सं० 4 के सीधे समझे नहीं समझता नही थी इस का लाभ उठाकर प्रतिवादी सं 2 व 3 ने उक्त तथाकथित गैसिकुड़ अपने पक्ष मे निष्पादित एंव पूर्ण कर करवाली और राजस्व रेकार्ड मे अपना हक हिस्सा दर्ज करा लिया। उसे खारीज करवाया शून्य अवैध माना जावे।

और निवादित आराजियात की बटवाड़ा
द्वारा प्रतिवादी सं 1 से 5 तक ने हक
हिस्सा ~~के~~ अनुसार बटवाड़ा करके
कर अलग अलग नाम पर दर्ज
करवाली गई। अत हमारी पुश्तैनी
जायदाद होने से हक हिस्सेनुसार
खातेदार काश्तकार घोषित किया
जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकन
करावे/

राजस्व रेकार्ड व पत्रावली
का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी
सा.क्र.1 ने अपने जीवन काल में अपने
हिस्से की भूमि प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पक्ष
में हकत्याग कर दिया वर्तमान में प्रतिवादी
सं 04 का राजस्व रेकार्ड में नाम अंकित
नहीं है। मौके पर बटवाड़ा होकर खाते
दारो ~~[illegible]~~ के अलग-
अलग नाम पर भूमि हिस्सेनुसार दर्ज है

अत: वर्तमान रेकार्ड में वादीगण
के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में नाम
नहीं है वादीगण के पिता ने अपने हिस्से
की भूमि प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पक्ष में
हक त्याग कर दिया गया था। वादीगण
चाहे तो हकत्याग को निरस्त कराने
हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करे

वादीगण का वाद अस्वीकार किया
जाकर खारिज किया जाता है।
खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन
करें।

आज यह निर्णय खुले कोर्ट में सुनाया
बाद में सेर अन्तम सुनाया गया/
पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से दाखिल हो/

(उम्मेद सिंह राजावत)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,भीलवाड़ा